

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- नर्सिंग / नर्स-1 / नाम विलोपित / 2019 /

दिनांक:

—:आदेश:—

श्रीमती भागवन्ती अरोडा, नर्स प्रथम, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर जिनकी जन्म तिथि 23.07.1960 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक 31.01.1983 है का राज्य सेवा में रहते हुये दिनांक 07.01.2019 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप इनका नाम राज्य सेवा से दिनांक 07.01.2019 से विलोपित किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती भागवन्ती अरोडा के विरुद्ध आज दिनांक तक:—

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

SA

(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- नर्सिंग / नर्स-1 / नाम विलोपित / 2019 / 80

दिनांक: 18/02/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स वेलफेयर विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर को उनके पत्र क्रमांक 573 दिनांक 23.01.2019 के क्रम में।
3. श्री बसन्त चावला पति स्व० श्रीमती भागवन्ती अरोडा, निवास स्थान 3/32 एनईबी, अलवर को सूचनार्थ।
4. आदेश/निजी पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर